न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 61/2017
प्रविष्टि दिनांकः— 12.10.2017

प्रदीपकुमार पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी कुराडिया हाल निवासी गणपतिनगर, देवलीगांव जिला टोंक राज0

..... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रज0ले0रे0 एक्ट 1956 विरूद्व आदश तहसीलदार देवली दिनांक 12.07.2017 मि0नं0 23/2017

उपस्थितः (1)श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 की और से

निर्णय दिनांक 22.02.2018

1. अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार देवली ने अपने निर्णय दिनांक 12.07.2017 के द्वारा अपीलाण्ट को आराजी ख0नं0 4422 रकबा 0—01 हे0 चरागाह वाके देवलीगांव तहसील देवली से बेदखल करने एवं लगान का 50 गुना पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट ने उक्त आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा तलबी जरिये सम्मन रेस्पोडेण्ट की गई अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भी तलब की गई। बहस अभिभाषक अपीलाण्ट एवं राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का ने गलत रूप से दी गई शिकायत के आधार पर एकतरफा में भरोसा करके गलत रूप से ख0नं0 4422 के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की है जबकि अपीलाण्ट द्वारा किसी भी राजकीय या सार्वजनिक भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या रास्ता अवरूद्व नहीं किया गया है। आराजी ख0नं0 4424 रकबा 1.66 हे0 में 39X40 फुट कुल 2000 वर्गफुट भूमि प्लाट सं0 39 अपीलाण्ट की पत्नी श्रीमती कमलेश मीणा द्वारा विक्रेता कादरबक्ष से आवासीय भू—खण्ड सं0 39 व 40 टोंक—जयपुर रोड गणपतिनगर ग्राम देवलीगांव तह0 देवली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तब से ही उसका मौके पर मकान बना हुआ है, मौके पर सिवायचक में 30 फिट रास्ता दोनो प्लाट/मकानो के बीच में सिवायचक भूमि में 30 फुट जमीन स्थित है जिसमें अपीलाण्ट के मकान के पास में 30 फिट रास्ता बना हुआ है जिस पर अपीलाण्ट की पत्नी का कब्जा एवं उपयोग उपभोग मौजूद है, किसी प्रकार भी रास्ते में अवरूद्व नहीं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

किया है, अपीलाण्ट प्रदीपकुमार का इस मकान से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं है क्योंकि उक्त मकान अपीलाण्ट की पत्नी के नाम है और वही इसकी मालिक है। अपीलाण्ट ने तहसीलदार के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया था परन्तु उस जवाब के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया और मौके की कोई वास्तविक जांच नहीं करवाई, रोड साईड में अपीलाण्ट की पत्नी के हिस्से में प्लाटो में दीवार बनायी गई है जिससे रास्ते की भूमि प्रभावित नहीं होती है वैसे भी किसी सरकारी रिकार्ड में ख0नं0 4422 में रास्ते का अंकन नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. राजकीय पेरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने उक्त खसर नंबर 4422 रकबा 0.01 हे0 सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलाण्ट ने दीवार बनाकर अतिक्रमण किया जाना पटवारी हल्का रिपोर्ट साबित है। अपीलाण्ट ने मौके पर कब्जा नहीं हटाया है। अतिक्रमण बरकरार है। अतः सिवाचक भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार देवली) का निर्णय दिनांक 12.07.2017 उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का फैसला यथावत रखा जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से ज्ञात होता है कि शिकायतकर्ता के प्रा0 पत्र के संबंध में पटवारी हल्का रिपोर्ट जो तहसीलदार देवली को दिनांक 13.01.2017 को पेश की गई है के अनुसार ग्राम देवलीगांव के ख0नं0 4422 रकबा 0.18 हे0 किस्म बंजड सिवायचक दर्ज रिकार्ड है जिस पर प्रदीपकुमार द्वारा 0.01 हे0 पर दीवार व मलबा डालकर अतिक्रमण कर लिया है, उक्त खसरा नंबर रास्ते के उपयोग में लिया जा रहा है। इस पर प्रदीप कुमार ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि जो मलबा डाला गया था उसे मकान में भरवा दिया अब वहां रास्ते में कोई मलबा नहीं है ना ही कोई अतिक्रमण है। पुनः पटवारी हल्का द्वारा ग्राम देवलीगांव के ख0नं0 4422 रकबा 0.18 हे0 का मौका निरीक्षण किये जाने पर रिपोर्ट तहसीलदार को 22.5.17 को पेश की गई जिसमें भी मौके पर प्रदीपकुमार द्वारा 45X4 फुट पर पक्की दिवार बनाकर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। इसका तात्पर्य है कि अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाना सिद्व है। चूंकि ख0नं0 4422 रकबा 0.18 हे0 सिवायचक काबिल काश्त भूमि है जिस पर अपीलाण्ट ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है, विवादित भूमि का रकबा जो सरकार की भूमि को हडपने की नियत दर्शाता है न कि आवश्यकता की पूर्ति, ऐसी सूरत में अपीलाण्ट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है।

आदेश

6. फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार देवली) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2017 यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)